

पत्रांक: सीपीपीआरआई/एए/209-211/2015/

दिनांक: नवम्बर 6, 2015 1795

श्री निशांत त्यागी,अपीलार्थी
एडवोकेट
चेंबर न.23,
सिविल कोर्ट,
सहारनपुर-247 001

बनाम
श्री वी.पी. थपलियाल प्रतिवादी
जन सूचना अधिकारी
केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान
सहारनपुर-247 001

निर्णय की तिथि: नवम्बर 6, 2015

तथ्य:

दिनांक 6.11.15 को श्री वी.पी. थपलियाल, जन सूचना अधिकारी, व श्री अनिल कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, सीपीपीआरआई, सहारनपुर ने केस से सम्बंधित सभी कागजात प्रस्तुत किए।

अपीलार्थी, श्री निशांत त्यागी ने अपने तीन आर.टी.आई. आवेदन दिनांकित 4.8.15 (संस्थान में प्राप्ति 12.8.15) जिसकी पावती संख्या निम्नवत है द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के अंतर्गत सूचनाएँ मांगी थी:

1. पावती संख्या.सीपीपीआरआई/आरटीआई/209
2. पावती संख्या.सीपीपीआरआई/आरटीआई/210
3. पावती संख्या.सीपीपीआरआई/आरटीआई/211

सूचना, प्रशासनिक अधिकारी से संबन्धित होने के कारण, जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर ने संबन्धित सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रशासनिक अधिकारी, सीपीपीआरआई, सहारनपुर को पत्रांक:सीपीपीआरआई/आरटीआई/209-211/2015/13(आई)/ दिनांक: अगस्त 12, 2015 द्वारा आग्रह किया था। प्रशासनिक अधिकारी, सीपीपीआरआई, सहारनपुर ने अपने

पत्रांक:CPPRI/P/M/3/9/VI/ दिनांकित 4.9.15 द्वारा सूचित किया कि अपीलार्थी को "सूचना के अधिकार, 2005 की धारा 8(1) (j) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। जन सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को अपने पत्रांक: सीपीपीआरआई/आर.टी.आई./209-2011/2015/13(i)/ दिनांक: सितम्बर 4, 2015 द्वारा प्रशासनिक अधिकारी, सीपीपीआरआई के निर्णय से अवगत करा दिया। उत्तर से असंतुष्ट होते हुए अपीलार्थी, श्री निशांत त्यागी ने तीन अपील दिनांकित 28.9.15 (संस्थान में प्राप्ति 7.10.15) द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से उपरोक्त आर. टी. आई. की सूचना प्राप्त करने हेतु अपील की है।

प्रासंगिक तथ्य और निर्णय:

उपरोक्त तीनों अपीलों पर प्रशासनिक अधिकारी, सीपीपीआरआई, सहारनपुर से उनकी आख्या मांगी गई। प्रशासनिक अधिकारी ने अपने पत्रांक:CPPRI/P/M/3/9/VI/ दिनांकित 06.10.15 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा पुनः सूचित किया कि "सूचना के अधिकार, 2005 की धारा 8(1) (j) के अन्तर्गत वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती फिर भी सूचित किया है कि संबन्धित शिकायती पत्र प्रक्रिया में है।

इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारी, सीपीपीआरआई, सहारनपुर द्वारा लिए गए निर्णय से सहमत हूँ।

तदनुसार शिकायत का निपटारा किया जाता है।


(आर. के. जैन)

प्रभारी निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी



श्री निशांत त्यागी,
एडवोकेट
चेंबर न.23,
सिविल कोर्ट,
सहारनपुर-247 001

श्री अनिल कुमार
प्रशासनिक अधिकारी,
सीपीपीआरआई,
सहारनपुर

प्रतिलिपि:

1. डॉ. बिपिन प्रकाश थपलियाल, वैज्ञानिक ई-II एवं जन सूचना अधिकारी, सीपीपीआरआई, सहारनपुर - सूचनार्थ

केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान
सहारनपुर

Ref.No. CPPRI/P/M/3/9/VI

Dated 6.10.2015


ION

कृपया अपीलीय अधिकारी के पत्र संख्या सीपीपीआरआई/ आरटीआई/209-211/2015 दिनांक 8 अक्टूबर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा श्री निशान्त त्यागी के सूचना के अधिकार के आवेदनों पर पुनः इस विभाग को सूचना यदि कोई हो को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए हैं। इस संबंध में श्री निशान्त त्यागी के आवेदनों पर पुनः क्रमानुसार निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई जा रही है।

1. आवेदन संख्या: 1.आ.टी.आई आवेदन पावती संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/209 (2 पेज):- यद्यपि आवेदन में मांगी गई सूचना, सूचना के अधिकार 2005 के नियम 8(1)(j) के तहत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती फिर भी आपको सूचना उपलब्ध कराई जाती है कि संबंधित शिकायती पत्र प्रक्रिया में हैं।
2. आवेदन संख्या: 1.आ.टी.आई आवेदन पावती संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/210 (4 पेज):- यद्यपि आवेदन में मांगी गई सूचना, सूचना के अधिकार 2005 के नियम 8(1)(j) के तहत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती फिर भी आपको सूचना उपलब्ध कराई जाती है कि संबंधित शिकायती पत्र प्रक्रिया में हैं।
3. आवेदन संख्या: 1.आ.टी.आई आवेदन पावती संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/211 (2 पेज):- यद्यपि आवेदन में मांगी गई सूचना, सूचना के अधिकार 2005 के नियम 8(1)(j) के तहत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती फिर भी आपको सूचना उपलब्ध कराई जाती है कि संबंधित शिकायती पत्र प्रक्रिया में हैं।

इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन 11/2/2013-IR(Pt.) ज्ञदिनांक 14 अगस्त, 2013, Govt of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training भी सलग्न किया गया है

सलग्नक: उपरोक्तानुसार



(अनिल कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी

निदेशक

प्रथम अपीलीय अधिकारी

केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर

प्रतिलिपि:

डा. बी.पी.थपलियाल

वैज्ञानिक ई-2, जन सूचना अधिकारी,

सीपीपीआरआई, सहारनपुर

No. 11/2/2013-IR (Pt.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi,
Dated the 14th August, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Disclosure of personal information under the RTI Act, 2005.

The Central Information Commission in one of its decisions (copy enclosed) has held that information about the complaints made against an officer of the Government and any possible action the authorities might have taken on those complaints, qualifies as personal information within the meaning of provision of section 8 (1) (j) of the RTI Act, 2005.

2. The Central Information Commission while deciding the said case has cited the decision of Supreme Court of India in the matter of Girish R. Deshpande vs. CIC and others (SLP (C) no. 27734/2012) in which it was held as under:-

"The performance of an employee/Officer in an organisation is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression 'personal' information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which could cause unwarranted invasion of the privacy of that individual." The Supreme Court further held that such information could be disclosed only if it would serve a larger public interest.

3. This may be brought to the notice of all concerned.

Encl: As above.

Mangoj Joshi
(Mangoj Joshi)
Joint Secretary (AT&A)
Tel: 23093668

1. All the Ministries / Departments of the Government of India.
2. Union Public Service Commission /Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/Election Commission.
3. Central Information Commission/ State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi.
5. O/o the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All officers/Desks/Sections, DOP&T and Department of Pension & Pensioners Welfare.